

आवंटनादेश

संख्या- 6/बी3-106/2015 श्र0सं0- 01

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव, पटना ।

पटना, दिनांक:-

22.4.15

विषय:- आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01 श्रम-101-औद्योगिक संबंध-मांग संख्या-26-
उपशीर्ष-0007-कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (विपत्र कोड-एन
2230011010007) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष- 2015-16 में 31 जुलाई, 2015 तक व्यय
के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

वेतन 0101	जीवन यापन भत्ता 0103	मकान किराया भत्ता 0104	परिवहन भत्ता 0105	चिकित्सा भत्ता 0106	योग वेतन एवं भत्ते	कार्यालय व्यय 1301	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव 1302	कुल योग
1000000	1130000	200000	20000	7200	2357200	150000	90000	2597200

2. यह आवंटन कुल ₹ 25,97,200/- (₹ पचीस लाख सनतानवे हजार दो सौ) मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-3429वि0(2) दिनांक-01.04.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. योग वेतन एवं भत्ते में आवंटित राशि से वेतन विपत्रों की निकासी की जायेगी ।
5. यह आवंटन गैर योजना मद के स्थायी स्थापना से संबंधित है ।
6. आवंटन विमुक्त किये जाने के प्रस्ताव में सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(अशोक कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक 6/बी3-106/2015 श्र0सं0-

01

पटना, दिनांक

22.4.15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(अशोक कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक 6/बी3-106/2015 श्र0सं0-

01

पटना, दिनांक

22.4.15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय पटना/ आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. आई.टी.मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग से अनुरोध है कि वित्त विभाग के पत्रांक-3448(वि०) दिनांक-01.04.15 में दिये गये निदेश का कार्यान्वयन कृपया सुनिश्चित कराया जाय ।

(अशोक कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

22/4/15